<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/62/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 28 .09.2026

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

सेतु मामला आईडी - AD/OI/063/2026

<u>विषय: यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।</u>

1. फा. सं. 6/62/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "IPA" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल के

अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक ने कहा है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, जिसे प्राधिकारी के फा. सं. 6/09/2023-DGTR दिनांक 14 अगस्त 2024 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 22/2024-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 22 अक्टूबर 2024 द्वारा लगाया गया था, और यह कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध व्यापार सूचना सं. 02/2024-25 दिनांक 18 अप्रैल 2024 द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर वर्तमान में कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वर्तमान आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार मूल जांच शुरू करने के लिए आवेदन है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आइसोप्रोपाइल अल्कोहल" है, जिसे आइसोप्रोपेनॉल अथवा IPA के नाम से भी जाना जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र CH3CHOHCH3 है। यह विशिष्ट गंध वाला रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है।

5. पीयूसी को परिभाषित करने वाले मानदंड उसकी प्रतिशत शुद्धता, विशिष्ट गुरुत्व, अवशिष्ट अशुद्धियां, जलांश और अपवर्तनांक हैं। पीयूसी वर्ग 3 का कार्बनिक विलायक है और इसका उपयोग मुख्यतः सक्रिय औषधि घटकों के विनिर्माण और औषधि फॉर्मूलेशन में विलायक और सहायक पदार्थ के रूप में, हैंड सैनिटाइज़र में सक्रिय घटक के रूप में, तथा चिकित्सा उपकरणों की सफाई और ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। आवेदन में कहा गया है कि पीयूसी के विभिन्न ग्रेड औषधि, कॉस्मेटिक्स, खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य क्षेत्रों के विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए होते हैं और पीयूसी का विनिर्माण या तो प्रोपिलीन के हाइड्रेशन द्वारा अथवा एसीटोन के उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जा सकता है; आवेदक प्रोपिलीन मार्ग का उपयोग करता है।

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 2905 12 20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("PCN") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति, यदि आवश्यक है, पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ तथा संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है तथा विनिर्माण का मार्ग उत्पादों को भिन्न नहीं बनाता है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

10. आवेदन दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि भारत में समान वस्तु का एक अन्य उत्पादक, अर्थात दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड, है, जिसने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है, तथा आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। प्राधिकारी नोट

करते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा अनुपात है और नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित अनुपात से अधिक है तथा किसी भारतीय उत्पादक ने आवेदन का विरोध नहीं किया है।

11. आवेदक ने कहा है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

12. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

ङ. जांच की अवधि

14. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने कहा है कि उसने संबद्ध देशों में समान वस्तु की घरेलू बिक्री कीमतें प्राप्त करने के प्रयास किए, किन्तु उन बाजारों में बिक्री से संबंधित मूल्य सूचियां और वाणिज्यिक चालान उसे युक्तिसंगत रूप से उपलब्ध नहीं थे, और उसने प्रत्येक संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का दावा उस देश में संबद्ध वस्तु के आयात की कीमत के आधार पर किया है, जिसे कारखाना-द्वार स्तर तक समायोजित किया गया है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) निर्यातक देश में उपभोग के लिए अभिप्रेत समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय कीमत निर्दिष्ट करती है और, जहां ऐसी कीमत उपलब्ध न हो, वहां निर्यातक देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत अथवा मूल देश में उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत वृद्धि शामिल हो, निर्दिष्ट करती है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपलब्ध स्रोतों की जांच करने पर संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमतें रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं; तीसरे देश की निर्यात कीमत के प्रयोजनार्थ उपलब्ध व्यापार आंकड़े ऐसे वर्गीकरण स्तर पर रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें विचाराधीन उत्पाद के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं और इसलिए वे समान वस्तु की कीमत को विश्वसनीय रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते; तथा इस चरण पर मूल देशों में उत्पादन लागत उपलब्ध नहीं है। अतः जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत में समान वस्तु की अनुकूलित उत्पादन लागत को उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के रूप में अपनाया गया है, उसे विधिवत समायोजित किया गया है और उसमें उचित लाभ मार्जिन जोड़ा गया है। संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के उत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य के आधार की जांच जांच के दौरान की जाएगी।

ii. निर्यात कीमत

17. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के लेन-देनवार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए आवेदक द्वारा दावा किए गए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के मद में उपयुक्त समायोजन पर विचार किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित

विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पहुंचा रहे हैं और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों के प्रभावों का संचयी रूप से आकलन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजीसीआईएंडएस के लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि संबद्ध आयात क्षति अवधि में और जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और मांग के संबंध में भी बढ़े, और संबद्ध वस्तु के कुल आयातों में उनका हिस्सा आधार वर्ष के लगभग एक-तिहाई से बढ़कर जांच की अवधि में प्रमुख हिस्सा हो गया। क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम रहा और जांच की अवधि के दौरान उसमें तीव्र गिरावट आई। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत की तुलना में कहीं अधिक घटी और उसकी बिक्री लागत से नीचे चली गई; साथ ही उसका लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, जो पिछले दो वर्षों में सकारात्मक थे, जांच की अवधि में ऋणात्मक हो गए।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग को सारवान क्षति और कथित पाटन तथा ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन

उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी सारवान क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

22. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम और संगत मामला आईडी-AD/OI/063/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

24. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/063/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

29. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

31. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुति अस्वीकार की जा सकती है।

33. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।

34. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

37. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

39. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

40. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि

गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

41. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 28-09-2026
19:56:29

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी